प्रेस नोट
जनपद बस्ती
दिनांक- 28.03.2025

थानाध्यक्ष वाल्टरगंज व एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में पिकप चोरी करने वाले अभियुक्त को पिकप के साथ किया गया गिरफ्तार-

थानाध्यक्ष वाल्टरगंज व एसओजी टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में थाना वाल्टरगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 61/2025 धारा 303(2) / 317(2) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त रोहित यादव पुत्र रामसागर निवासी रजौली थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ को चोरी हुए पिकप के साथ जिस पर केबिल तार लदा हुआ था, आज दिनांक- 28.03.2025 को समय 13.15 बजे बहद ग्राम होरिलापुर से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक- 24.03.2025 को वादी मुकदमा श्री राजेन्द्र सोनी पुत्र गब्बूलाल सा0 आमा भुजैनिया थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती द्वारा थाना स्थानीय पर खुद की पिकप चोरी हो जाने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 61/2025 धारा 303(2) BNS पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री मकबूल आलम द्वारा की जा रही है। आज दिनांक 28.03.2025 को मुखबीर खास द्वारा सूचना दिया गया कि एक संदिग्ध पिकप जिस पर काले रंग के बण्डल का तार काफी मात्रा मे लदा हुआ है जिसपर पाँच व्यक्ति है। मुखबीर खास की सूचना पर पुलिस बल पिकप के पास पहुँचे तो पुलिस वालो को देखकर चार व्यक्ति उस पिकप से कूदकर भाग गये तथा एक व्यक्ति पिकप के अन्दर ड्राइवर की सीट की तरफ से भागने का प्रयास किया कि जिसे हिकमत अमली से मौके से पकड़ लिया गया। उसके द्वारा बताया गया कि यह पिकप थाना कोतवाली क्षेत्र जनपद गोण्डा से चोरी किया है और रेलवे के ठेकेदार के मुंशी के माध्यम से मिली भगत करके अवैध तरीके से रेलवे के कार्य हेतु प्रयोग मे लाये जाने वाले केबिल तार को प्राप्त कर बेचते है तथा यह भी बताया कि ग्राम आमा भुजैनिया थाना क्षेत्र वाल्टरगंज से दिनांक 23.03.25 की रात मे करीब 2.30 से 3.00 बजे के आस पास एक पिकप जिसका नम्बर UP 51 AT 1543 उपरोक्त साथियो के मदद से चुराया था। अभियुक्त का यह कार्य धारा 317(2) BNS का अपराध है का बोध कराते हुए समय करीब 13.15 बजे हिरासत पुलिस मे लियागया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. रोहित यादव पुत्र रामसागर निवासी रजौली थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ उम्र करीब 37 वर्ष

बरामदगी का विवरण

1. एक अदद पिकप संख्या UP 55 T 6717
2. एक अदद पिकप संख्या UP 51 AT 1543
3. केबिल तार

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 470/2022 धारा 411/414 भा0द0सं0 थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ
2. मु0अ0सं0 181/2022 धारा 379/411 भा0द0सं0 थाना नाका हिन्डोला जनपद लखनऊ
3. मु0अ0सं0 303/2020 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना इटौजा जनपद लखनऊ
4. मु0अ0सं0 191/2020 धारा 411/420 भा0द0सं0 थाना चौक जनपद लखनऊ
5. मु0अ0सं0 635/2020 धारा 379/411/412 भा0द0सं0 थाना पारा जनपद लखनऊ
6. मु0अ0सं0 13/2017 धारा 380/411 भा0द0सं0 थाना बाजारखाला जनपद लखनऊ
7. मु0अ0सं0 15/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बाजारखाला जनपद लखनऊ
8. मु0अ0सं0 28/2019 धारा 379/411 भा0द0सं0 थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ
9. मु0अ0सं0 289/2019 धारा 3/2(B)(I) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0
10. मु0अ0सं0 61/2025 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष वाल्टरगंज उमाशंकर त्रिपाठी जनपद बस्ती।
2. प्रभारी एसओजी टीम चन्द्रकान्त पाण्डेय, जनपद बस्ती।
3. उ0नि0 मकबूल आलम थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती।
4. हे0का0 राकेश चौहान, का0 रत्नेश कुमार, का0 संदीप कुमार सिंह, का0 सलमान शाह, का0 अनिरूद्ध कुमार थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती।

थाना वाल्टरगंज
जनपद बस्ती